राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.14(10)खान/ग्रुप–2/2020 (विशेष) जयपुर दिनांक 30.03.2020

निदेशक,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
उदयपुर।

विषयः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 24.03.2020/25.03.2020 के क्रम में खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.03.2020 को लॉकडाउन के संबंध में प्रसारित दिशा निर्देशों की पालना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 24.03.2020/25.03.2020 तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.03.2020 (प्रति संलग्न) के क्रम में राज्य में लॉकडाउन अवधि में खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस में खनन कार्य संचालित करने के संबंध में निम्न निर्देशों की पालना करवाये जाने का श्रम करावें:–

1. लॉकडाउन अवधि में अप्रधान खनिज के समस्त खनन पट्टे/क्वारी लाईसेंस/अन्य अनुमति (परमिट) में खनन कार्य तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जावे। उक्त निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय ऑन लाईन ई–रवन्ना/ई–टी.पी. तथा सभी एम्पेनेल्ड वे–ब्रिज को deactivate कर दिया जावे।

2. प्रधान खनिज के लिग्नाईट, ऑयरन ओर, लाईमस्टोन, लेड, जिंक, कॉपर इत्यादि के खनन पट्टे जिनसे खनिज की आपूर्ति के आधार पर विभिन्न प्लाण्ट संचालित हो रहे हैं, को छोड़कर शेष खनन पट्टों में खनन कार्य तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिये जावे। प्रधान खनिज के इन खनन पट्टों में खनन कार्य के संचालन की अनुमति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उद्योग विभाग/अन्य सक्षम विभाग द्वारा प्लाण्ट के संचालन हेतु दी गई अनमुति के आधार पर संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा दी जा सकेगी।

उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(कमलेश सिंह चौहान)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner